

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2023

विषय:- उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में नियुक्त सलाहकार एवं कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-52/रा०आ०प्र०प्र०/लेखा/2023-24, दिनांक 25.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन०डी०एम०एस० पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खतरे के प्रति संवेदनशील उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के सुदृढीकरण के लिए नियुक्त सलाहकार एवं कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 18,27,000/- (रु० अठ्ठारह लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि**, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 18,27,000/- (रु0 अठ्ठारह लाख सत्ताईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-051 लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0104 आपदा जोखिम में कमी हेतु सैन्ड्राई फ्रेम वर्क का क्रियान्वयन, (के.100/रा.-00-के.)" 07 मानदेय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1011(1)/एक-10-2023, तदुदिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- राजस्व अनुभाग-6/11
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

0-

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024

आवंटन दिनांक-14/07/2023

प्रेषण संख्या:-

1011

आवंटन आदेश संख्या:-

001-1011

अनुदान संख्या:-

51 राजस्व विभाग (द्वि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

04 - आपदा जोखिम में कमी हेतु सेंडार्ड प्रेम कर्क का क्रियान्वयन-के-100रा-00

(धनराशि रु. में)

S.No	अधिकारी/जनपद का नाम		07-मानदेय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रणामी	1827000 1827000	1827000 1827000
	योग	वर्तमान प्रणामी	1827000 1827000	1827000 1827000

महायोग-(वर्तमान आवंटन):-

रूपया अठारह लाख सत्ताइस हजार

महायोग-(प्रणामी आवंटन):-

रूपया अठारह लाख सत्ताइस हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

